REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

| सं. 164] | नई दिल्ली, शुक्रवार,मार्च 28, 2014/चैत्र 7, 1936  |
|----------|---|
| No. 164] | NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2014/CHAITRA 7, 1936 |

#### पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2014

सा.का.नि.229(अ).— केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में, क्रम सं0 77, 78 तथा 80 और क्रमिक प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा |

[फा.सं. क्यू-15017/02/2014-सीपीडब्ल्यू]

डा. राशिद हसन, सलाहकार

टिप्पण- मूल नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं0 का0आ0 844(ओ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं0 का0आ0 433(ओ), तारीख 18 अप्रैल, 1987 ; सा0का0नि0 01(ओ), तारीख 1 जनवरी, 2010 ; सा0का0नि0 61(ओ), तारीख 5 फरवरी, 2010 ; सा0का0नि0 485(ओ), तारीख 9 जून, 2010 ; सा0का0नि0 608(ओ), तारीख 21 जुलाई, 2010 ; सा0का0नि0 739(ओ), तारीख 9 सितंबर, 2010 ; सा0का0नि0 809(ओ), तारीख 4 अक्तूबर, 2010 ; सा0का0नि0 215(ओ), तारीख 15 मार्च, 2011 ; सा0का0नि0 221(ओ), तारीख 18 मार्च, 2011 ; सा0का0नि0 354(ओ), तारीख 2 मई, 2011; सा0का0नि0 424(ओ),तारीख 1 जून, 2011 ; सा0का0नि0 446(ओ), तारीख 13 जून, 2011 ; सा0का0नि0 152(ओ), तारीख 16 मार्च, 2012 ; सा0का0नि0 266(ओ), तारीख 30 मार्च, 2012 ; सा0का0नि0 277(ओ), तारीख 31 मार्च, 2012 ; सा0का0नि0 820(ओ), तारीख 9 नवंबर, 2012 ; सा0का0नि0 176(ओ), तारीख 18 मार्च, 2013 ; सा0का0नि0 535(ओ), तारीख 7 अगस्त, 2013 ; सा0का0नि0 771(ओ), तारीख 11 दिसंबर, 2013 ; और सा0का0नि0 02(ओ), तारीख 2 जनवरी, 2014 द्वारा संशोधित किए गए ।

1415 GI/2014

### MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

## NOTIFICATION

#### New Delhi, the 28th March, 2014

**G.S.R. 229(E).**—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) (Second Amendment) Rules, 2014.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in the Schedule I, serial numbers 77,78 and 80 and the respective entries shall be omitted.

# [F. No. Q-15017/02/2014-CPW]

#### Dr. RASHID HASAN, Advisor

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended vide notification numbers S.O. 433 (E), dated the 18th April 1987; G.S.R. 01 (E), dated the 1st January, 2010; G.S.R, 61 (E), dated the 5th February, 2010; G.S.R. 485 (E), dated the 9th June, 2010; G.S.R. 608 (E), dated the 21st July, 2010; G.S.R. 739 (E), dated the 9th September, 2010; G.S.R. 809(E), dated, the 4th October, 2010, G.S.R. 215 (E), dated the 15th March, 2011; G.S.R. 221(E), dated the 18th March, 2011; G.S.R. 354 (E), dated the 2nd May, 2011; G.S.R. 424 (E), dated the 1st June, 2011; G.S.R. 446 (E), dated the 16th March, 2012; G.S.R. 266(E), dated the 30th March, 2012; G.S.R. 277 (E); dated the 31st March, 2012; G.S.R. 820(E), dated the 9th November, 2012; G.S.R. 176(E), dated the 18th March, 2013; G.S.R. 02 (E), dated the 2nd January, 2014.